28.12.22 वादी वकील अनुपस्थित। वादिनी स्वयं भी उपस्थित नहीं हुई।

आज न्यायालय समय में लगभग 2 तीन बार आवाजें दिलाई जाने एवं अदालत उठने से पूर्व एक बार पुनः आवाज दिलाई जाने के बावजूद भी वादिनी एवं उनके वकील में से किसी के भी उपस्थित नहीं होने से जाहिर होता है कि वे वाद में पैरवी नहीं करना चाहते हैं तथा अदालत का समय जाया कर रहे हैं।

लिहाजा वादिनी व उनके वकील को अनुपस्थित रहते हुए वाद छोड़ कर अलग हाजरी एवं अलग पैरवी के आदेश लिया जाता है।

पत्रावली विभाग मंडल में दाखिल दफ्तर एवं नजीर में करें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2023.01.03 14:12:54 IST
Reason: SelfAttested